तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
08.02.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति बैंक के पास बंधक रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि भुगतान का व्यतिक्रम करने पर अप्रार्थीगण के खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के तहत रजि. नोटिस प्रेषित किया गया, जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। ऋणि द्वारा धारा 13(2) के नोटिस पर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ना ही देय राशि का भुगतान प्रार्थी को किया हैं। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी के पास बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी को पुलिस सहायता से दिलाए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा रजि. रसीदें एवं रजि. डाक के ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। धारा 14 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु के प्रति समाधान हो जाने के आधार पर कार्यवाही किया जाना होता हैं, परन्तु प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की सम्पत्ति प्लॉट सं. 6, वार्ड नं. 24 वाल्मिकी बस्ती, रायसिंहनगर कुल क्षेत्रफल 450 स्क्वेयर फीट का भौतिक कब्जा दिलाये जाने हेतु निवेदन किया हैं, लेकिन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत ऋण करार पत्र में उक्त भूमि के अंकन संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं एवं इस संबंध में कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं। प्रार्थना पत्र के साथ धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस प्रेषित करने की जो रजि. रसीदें प्रस्तुत की गयी हैं वे अस्पष्ट हैं। ऐसी स्थिति में आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 खारिज किया जाकर पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 08.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (अवधेश मीना) जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:43:58 IST
Reason: SelfAttested